

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफएसएसए/2017/

दिनांक:-

-- ::आदेश:: --

श्री उपेन्द्र मिश्रा, मूल पद लैब टेक्नीशियन, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)चिकित्सा/ग्रुप-3/96/पार्ट जयपुर, दिनांक 19.07.2007 के द्वारा खाद्य निरीक्षक की शक्तियाँ प्रदत्त कर निदेशालय के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन करवाया जा रहा है। श्री उपेन्द्र मिश्रा के खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्यों के निर्वहन के दौरान इनके विरुद्ध प्राप्त गम्भीर शिकायतों/विचाराधीन विभागीय जाँचों को दृष्टिगत रखते हुये श्री उपेन्द्र मिश्रा को प्रदत्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहारित (विद्धो) की जाती है।

श्री उपेन्द्र मिश्रा को इनके लैब टेक्नीशियन के मूल पद पर अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर के अधीन उपस्थिति देने हेतु दिनांक 05.07.2017 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त किया जाता है।

CS

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।

दिनांक:- 5/7/17

क्रमांक: एफएसएसए/2017/689

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. नोडल अधिकारी (एफएसएसए) एवं अति0 निदेशक (ग्रा0स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
5. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर।
6. अति0 निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान
8. समस्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली को प्रेषित कर लेख है कि श्री उपेन्द्र मिश्रा से अविलम्ब ब्रास सील, पेपर स्लिप व अन्य सामग्री एवं पीएफए/एफएसएसए से संबंधित प्रकरणों की पत्रावलियां अपने अधीन कर तुरन्त अवगत करावे।
10. मुख्य खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर।(chief.public.analyst@gmail.com)
11. श्री उपेन्द्र मिश्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि आपको आवंटित ब्रास सील, पेपर स्लिप व अन्य सामग्री एवं पीएफए/एफएसएसए से संबंधित प्रकरणों की पत्रावलियां अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली को सुपुर्द कर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
12. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बंधित को ईमेल कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
13. आदेश/रक्षित पत्रावली।

A

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।